This is a digitally signed gazette, to verify click here.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 29 फरवरी, 2012 / 10 फाल्गुन 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 28th February, 2012

No. FDS-B(15)-2/2010.—In partial modification of this Department's notification of even number dated 23rd February, 2012, the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to revise the posting order of Shri Prem Nath on promotion as Food & Supplies Officer, from Distt. Bilaspur to the O/O Joint Director, F,CS&CA, Dharamshala, Distt. Kangra vice Shri Shiv Ram, Food & Supplies Officer and vice-versa with immediate effect.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (FCS&CA) .

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 29 फरवरी, 2012

संख्या एफ0डी0एस0–बी(15)–1/2010.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 20 जुलाई, 2010 के अधिक्रमण में तथा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के परन्तुक के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में निःशक्त व्यक्तियों के निम्नलिखित तीन प्रतिशत पदों को आरक्षण से छूट प्रदान करती हैः –

1. विधि अधिकारी।
2. चालक।
3. चौकीदार।

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 32 के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में निःशक्त व्यक्तियों को तीन प्रतिशत आरक्षण के निम्नलिखित पदों को निम्न रूप से परिलक्षित करती हैः–

क्रम संख्या	पद का नाम	निःशक्त व्यक्ति का प्रवर्ग जिसके लिए पद आरक्षित है
1.	जिला नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	एच0एच0 (पी0डी0) श्रवण विकलांग (आंशिक बहरा)।
2.	आशुटंकक	ओ0आई0(ओ0एल0, बी0एल0,ओ0ए0) (एक टांग, दोनों टांगे और एक बाजू) ।
3.	निरीक्षक ग्रेड–I	ओ0आई0 (ओ0एल0,ओ0ए0) एच0एच0(एक टांग, एक बाजू) श्रवण विकलांग।
4.	कनिष्ठ विश्लेषक	ओ0आई0 (ओ0एल0,ओ0ए0) एच0, एच0 (एक टांग, एक बाजू) श्रवण विकलांग।
5.	लिपिक	ओ0आई0 (ओ0एल0,बी0एल0, ओ0ए0, ओ0ए0एल0) एच0एच0, वी0आई (एक टांग, दोनों टांगे, एक बाजू और एक बाजू एक टांग) श्रवण विकलांग, कमजोर दृष्टि।
6.	चपरासी	एच0एच0, एल0वी0(श्रवण विकलांग, कमजोर दृष्टि) ओ0 आई0 (ओ0ए0) एक बाजू।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव (खा0ना0आ0 एवं उ0मा0)।

————————

[Authoritative English text of this department Notification No. FDS-B(15)-1/2010 dated 29.2.2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th February, 2012

No. FDS-B(15)-1/2010.—In Supersession of this department's Notification of even number dated 26th July, 2010 and in exercise of the powers vested in her under proviso to Section 33 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act,

1995, the Governor, Himachal pradesh is pleased to exempt following posts for 3% reservation to disabled persons, in the Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department:-

1. Law Officer.
2. Drivers.
3. Chowkidars.

In exercise of the powers vested in her under Section 32 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, the Governor, Himachal Pradesh is **further** pleased to identify the following posts for 3% reservation to disabled persons, in the Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department:-

Sr. No.	Name of Post	Categories of disabled persons for which post is reserved
1.	Distt. Controller, F,CS&CA.	HH(PD) (Hearing Handicapped)/(Partially Deaf.
2.	Steno-Typist	OI, Orthopaedically Impaired(OL,BL & OA)(One Leg, Both legs & one Arm).
3.	Inspector Gr.I	OI, Orthopaedically Impaired(OL,OA) HH(one leg, one Arm) (Hearing Handicapped).
4.	Jr. Analyst	OI, Orthopaedically Impaired(OL,OA) HH (one leg, one Arm) (Hearing Handicapped).
5.	Clerk	OI, Orthopaedically Impaired(OL,BL,OA,OAL) HH,VI(one leg, Both legs, One Arm, One Arm and Leg) HH(Hearing Handicapped, Visually Impaired).
6.	Peon	HH,LV(Hearing Handicapped, Low Vision) OI (OA) (orthopaedically Impaired) (one arm).

By order,
PREM KUMAR,
Principal Secretary (FCS&CA).

आबकारी व कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 29 फरवरी, 2012.

संख्या ई0एक्स0एन0–एफ (18)2/99–1.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 34 की उपधारा (1), हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 14–(ख), हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 की उप–धारा (1), हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 6 और हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सोलन में परवाणू के नज़दीक देली में अस्थाई बहुउद्देशीय नाका/चैक पोस्ट तुरन्त प्रभाव से स्थापित करने के आदेश देती हैं ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this department notification NoEXN-F(18) 2/99-I dated 29- 2-2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 29 February, 2012

No.EXN-F (18)2/99-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 34 of Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, (Act No. 12 of 2005), Section 14-B of the Himachal Pradesh Passenger and Goods Taxation Act, 1955 (Act No. 15 of 1955) Section 5 (1) of the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999), Section 6 of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975) and Section 12 of the Himachal Pradesh Entry of goods into local Area Act, 2010 (Act No. 9 of 2010), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order the establishment of temporary Multipurpose barrier/check-post at Delli near Parwanoo in District Solan with immediate effect.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (E&T).

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 29th February, 2012

No. Shram (B) 1- 2/ 2007(DPC) E.O./Estt.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee and with prior consultation of the Himachal Pradesh Public Service Commission, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to promote the following Statistical Assistants /Senior Assistants of the Labour & Employment Department to the post of Employment Officer, Class-II (Non-Gazetted) in the Pay band of ₹10300-34800 + ₹ 4400/- Grade pay on regular basis, with effect from the assumption of charge of the post:-

1. Sh. Man Chand Thakur, Statistical Assistant, DEE, Hamirpur
2. Sh.Mohinder Paul Rawat, Sr. Asstt. , SOEE, Shilai, Distt. Sirmour.
3. Sh. Bahadur Singh, Sr.Asstt. SOEE, Nichar, Distt. Kinnaur .

2. The Governor, Himachal Pradesh, is further pleased to order the posting of above Employment Officers at the places shown against their names :-

Sr. No.	Name	Place of Posting
1.	Sh. Man Chand	Thakur o/o the Regional Employment Exchange, Mandi, Distt. Mandi.
2.	Sh.Mohinder Paul	Rawat o/o the Regional Employment Exchange, Dharamshala, Distt. Kangra
3.	Sh. Bahadur Singh,	Sub-Employment Exchange, Amb, District .Una.

3. The above officers shall remain on probation for a period of two years.

4. The above officers can exercise option for fixation of pay under FR-22 within one month from the date of assuming charge of the post.

All the above promoted Employment Officers are directed to report for duty at their new place of posting within ten days. No extension in joining period will be allowed in any case.

By order,
Sd/-
Addl. C.S. (Labour & Employment).

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 28 फरवरी, 2012

संख्या मुद्रण(बी)10–28/2010.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में, प्लेट मेकर (आफसैट) वर्ग–III, (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग प्लेट मेकर (आफसैट) वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**–(i) अधिसूचना संख्याः मुद्रण (ए) 4–16/93 तारीख 13–8–1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, प्लेट मेकर (आफसैट) वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप नियम 2(I) के अधीन इस प्रकार निरसित सुंसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में प्लेट मेकर (आफसैट) वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**– प्लेट मेकर (आफसैट)।

2. **(पद)पदों की संख्या.**–01 (एक)।

3. **वर्गीकरण.**–वर्ग III (अराजपत्रित)।

4. **वेतनमान.**– (i) नियमित पदधारियों के लिए वेतेतनमान :
पे बैंड ₹ 5910–20200, जमा 2400 / –₹ ग्रेड़ पे
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां :
₹ 8310 (स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार) प्रति मास ।

5. **"चयन' पद अथवा 'अचयन'.**–पद अचयन।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**–18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले स ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियो / अनुसूचित जनजातियों / अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों के अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों, तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं, / किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएंगी, जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यथियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं.–(क) अनिवार्य अहर्ताएं.**–(I) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय से दस जमा दो या इसके समतुल्य हो ।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से या केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्लेट मेकर (आफसैट) के ट्रेड में दो वर्ष का नैशनल ट्रेड / प्रशिक्षुता प्रमाण–पत्र ।

(ख) वांछनीय अहर्ता(एं).–हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्ति (यों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.–आयु** : लागू नहीं । **शैक्षिक अर्हता** : लागू नही ।

9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.**–दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानातरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद पदों की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानातरण की दशा में वे श्रेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या स्थानातरण किया जाएगा.—डार्क रूम परिचर/फलाई ब्वाय (आफसैट) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका 6 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो को सम्मिलित करके छः वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :और ट्रेड टैस्ट पास किया हो,

परन्तु यह और कि विभाग ट्रेड टैस्ट की बाबत अपने नियम बनाएगा और समय—समय पर टैस्ट का संचालन करेगा ।,

"प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता सूची को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी ।"

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिये, सशर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार या उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने—अपने प्रवर्ग/पद/संवंग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाऐंगे और विचार करते कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन दि हिमाचल स्टेट नान—टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स—सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन दि हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी सरंचना.—जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियां में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि ,यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15–क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों मे किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी :—

(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में प्लेट मेकर (आफसैट) को संविदा के आधार, पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा ।

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर सविदा की अवधि में विस्तार/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है केवल तभी उसकी संविदा अवधि का विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयनबोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.—नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त प्लेट मेकर (आफसैट) को ₹ 8310/— की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों)के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 250/— की रकम (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—नियन्त्रक (मुद्रण एवं लेखन सामग्री), हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.–अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमो से संलग्न उपाबन्ध 'ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें.–(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को **₹** 8310/– की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में **₹** 250/– (पद के पे बैड के न्यून्तम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाऐं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नही दिया जाएगा ।

(ख) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदात्मक पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ड) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानातरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ आर 0,एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नही होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.–सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.– लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.–जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित मे अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

उपाबन्ध 'ख'

प्लेट मेकर (आफसैट) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति.. पुत्र/पुत्री श्री.. निवासी..,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार'' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, जिसे इसमें इसके पश्चात् ''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.............................. को किया गया।

''द्वितीय पक्षकार'' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है आरै प्रथम पक्षकार ने–प्लेट मेकर (आफसैट) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः–

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्लेट मेकर (आफसैट) के रूप में............. से प्रारम्भ होने और.......... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्..................... दिन को स्वयंमेव ही समाप्त (पर्यवसित) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

   परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि का विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 8310/– प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक नियुक्त प्लेट मेकर (आफसैट) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त प्लेट मेकर (आफसैट) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगे। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त प्लेट मेकर (आफसैट) कर्त्तव्य (डियूर्टी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नही होगा।

6. संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पाचं वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है वह आवश्यकता के आधार पर स्थानातरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था

प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में:–

1..
....
....
(नाम व पूरा पता)
2..
....
....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

सक्षियों की उपस्थिति में: –

1..
....
....

(नाम व पूरा पता)

2..
....
....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No : Mudran(B)10- 28/2010 dated 28-2-2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th February, 2012

No. Mudran (B)10-28 / 2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor ,Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of **Plate Maker (Offset), Class-III (Non-Gazetted)** in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) (i) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, **Plate Maker (offset), Class-III (Non-Gazetted)** Recruitment and Promotion Rules, 2012.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra. Himachal Pradesh.

2. **Repeal and Savings.**—(i) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, **Plate Maker (Offset) Class-III (Non-Gazetted** Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide Notification No. Mudran (A) 4-16/93, dated 13-8-1997 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the revelvant rules so repealed under sub-rule-2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order,
Sd/-
Pr.Secretary (P&S).

Annexure"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PLATE MAKER (OFFSET) CLASS-III (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH

1. **Name of the Post.**—Plate Maker (Offset).

2. **Number of Post(s) .**—1(one).

3. **Classification.**—Class-III (Non-Gazetted).

4. **Scale of Pay.**— (i) Pay Scale for regular incumbents
₹ 5910-20200+2400/-Grade Pay.
(ii) Emoluments for contract employees
₹ 8310/- P.M. (as per details given in Col.15-A).

5. Whether Selection post or Non-Selection post.—Non -Selection.

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years.

Provided that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age-limit is relax able for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment ,relax able at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits(s).—a) Essential Qualification(s) : (i) 10+2 or its equivalent from a recognized Board of School Education/University.

(ii) Two years National Trade /Apprenticeship Certificate in the Trade of Plate Maker (offset) from a recognized I.T.I. or from an Institution duly recognized by the Central /State Government.

b) Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and Suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—*Age* : Not applicable. *Educational Qualification* : Not Applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be .The contract employee will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by the service conditions as prescribed in the said Column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Dark Room Attendent/Fly Boy (Offset) having Six year's regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade and have passed trade test.

Provided further that the Department frames its rules with regrd to Trade test and conduct the test from time to time.

Provided further that for the purpose of promotion a combined seniority list of eligible officials on the basis of length of service without disturbing their cadre-wise inter se-seniority, shall be prepared.

(1) "In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his /her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field on consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule 3 of The Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

2. Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc services rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with provisions of the R&P Rules ;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition? .—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva -voce test of the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission or other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract recruitment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the will be made subject to the terms and conditions given below;

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the **Plate Maker (Offset)** in the Printing & Stationery Department, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

(b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB**.—The Controller, Printing & Stationery Department Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HP Subordinate Service Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The **Plate Maker (Offset)** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 8310/-per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus Grade pay.) An amount of ₹ 250/-(3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Controller, Printing and Stationery H.P.will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of Viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Subordinate Service Selection Board Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Subordinate Service Selection Board Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMEMT.—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per annexure -B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—**a)** The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 8310/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + Grade Pay). The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 250/- (3% of minimum of the Pay band + Grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefit such as senior/selection scales etc. will begiven.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual appointee. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for period of absence from duty.

(e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a Certificate of his/her fitness from a Government /Registered Medical Practioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will be temporarily unfit till the Confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness by an authorized Medical Officer/ Practioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provision of service rules like FR,SR ,leave Rules, GPF Rules ,Pension rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees , will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc .as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

Annexure"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Plate Maker (Offset) & the Government of Himachal Pradesh through--Controller Printing and Stationery.--- H.P.

This agreement is made on this………………..day of………….. in the year……..………..Between…………Sh/Smt.…………............….S/o/D/o Shri………………… R/o…………………………………………………………………………………………… ……………………, Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY),AND The Governor, Himachal Pradesh through -Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (herein-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as **Plate Maker (Offset)** on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Plate Maker (Offset)** for a period of one year commencing on day of ---------------- …………………………..and ending on the day of ……………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ----------------- and information notice shall not be necessary.

   Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contact is to be renewed/extended.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will bec8310 /-per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good Or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual **Plate Maker (Offset)** will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual **Plate Maker (Offset).** He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual **Plate Maker (Offset)** will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnancy

beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1……………………………………..
………………………………………
………………………………………
(Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2……………………………………..
………………………………………
………………………………………
(Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1……………………………………..
………………………………………
………………………………………
(Name and full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2……………………………………..
………………………………………
………………………………………
(Name and full Address.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित